संख्या-20/2022/3650/26-3-2021-1(42)/2020

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक: 22 मार्च 2022

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बरसेण्डी अयोध्या मऊघनश्यामपुर अयोध्या एवं कादीपुर सुल्तानपुर में ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण हेतु तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1755-56/स0क0/ए0टी0एस0-सेल/ट्रांजिट हास्टल(20-1) /2021-22, दिनांक-15.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, बरसेण्डी, अयोध्या, मऊघनश्यामपुर, अयोध्या एवं कादीपुर, सुल्तानपुर में ट्रांजिट हास्टल निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स एवं थर्ड पार्टी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, बरसेण्डी, अयोध्या, मऊघनश्यामपुर, अयोध्या एवं कादीपुर, सुल्तानपुर में ट्रांजिट हास्टल निर्माण हेतु शासनादेश-181/2017/ 2944/26-3-2017-2944/2017, दिनांक 08.03.2017 द्वारा क्रमशः आगणित लागत रू0-291.67 लाख, रू0-291.67 लाख एवं रू0-291.67 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में क्रमशः धनराशि रू0-145.83 लाख, रू0-145.83 लाख एवं रू0-145.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है एवं शासनादेश संख्या-127/2020/2396/26-3-2020-2944/2017, दिनांक-19.10.2020 द्वारा उपरोक्त कार्यों को कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में क्रमशः धनराशि रू0-58.33 लाख, रू0-58.33 लाख एवं रू0-58.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बरसेण्डी, अयोध्या, मऊघनश्यामपुर, अयोध्या एवं कादीपुर, सुल्तानपुर में ट्रांजिट हास्टल निर्माण हेतु तृतीय किश्त के रूप में क्रमशः रू0-87.51 लाख, रू0-87.51 लाख एवं रू0-87.51 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-262.53 लाख (रू0-दो करोड़ बासठ लाख तिरपन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-योजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(5)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(7)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(8)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9)-कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक आफ इण्डिया/राष्ट्रीकृत बैंक में ही जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त धनराशि पर यदि कोई ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(11)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(12)-वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26.08.2014 एवं शासनादेश दिनांक-15.06.2019 एवं दिनांक-23.07.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(14)-कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(15)-प्रश्ननगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य' ' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

पृसं0-20/2022/3650 (1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, अयोध्या एवं सुल्तानपुर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in